बिहार सरकार
खेल विभाग

एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की मार्गदर्शिका 2025

1. **योजना का नाम – मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।**

बिहार में खेल संस्कृति के सुदृढ़ीकरण हेतु जमीनी स्तर पर खेल विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रारंभिक पहचान को संभव बनाता है, बल्कि बच्चों एवं युवाओं में सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे चैंपियनों की एक निरंतर और सशक्त श्रृंखला विकसित की जा सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, खेल प्रशिक्षण अब केवल अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरणों तथा संरचित कोचिंग पर आधारित है।

प्रतिभावान खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराकर खेलों का उन्नत प्रशिक्षण देना राज्य खेल क्षेत्र की आवश्यक प्राथमिकता है, जिसे मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के एक घटक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1863, दिनांक-28.12.2028 द्वारा निर्गत योजना मार्गदर्शिका, 2018 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

---

2. **योजना के उद्देश्य:**

(i) राज्य के उदयीमान विद्यालय खेल प्रतिभा की पहचान और संवर्धन।
(ii) आधुनिक खेल उपकरण, पौष्टिक आहार, खेल विज्ञान आधारित समर्थन और योग्य प्रशिक्षकों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
(iii) प्रतिस्पर्धा के अवसर विकसित करना।
(iv) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तैयार करना।
(v) खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण से लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त करने तक का स्पष्ट मार्ग तैयार करना।
(vi) इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना।

---

3. **प्रशिक्षण केंद्र का नाम** – एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र

---

4. **प्रशिक्षण केंद्र की प्रकृति:**

(i) आवासीय (विद्यालय आधारित केंद्र) – राज्य स्तर पर।
(ii) आवासीय (स्टेडियम आधारित केंद्र) – राज्य स्तर पर।
(iii) आवासीय (खेल भवन आधारित केंद्र) – राज्य स्तर पर।

---

5. **खेल विधाओं का चयन:**

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिकता, एसजीएफआई (SGFI) द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिकता तथा खेलो इंडिया के लिए चयनित खेल विधाओं में से उन

विधाओं का चयन किया जाएगा, जिनमें पूर्व में बिहार का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान जनक रहा है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित खेल विधाएँ चिन्हित की गई हैं:

एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी, तैराकी, फुटबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, जूडो, सेपक टाकरा, साइकिलिंग, फेंसिंग, रग्बी, खो-खो, वुशु, पैरा-एथलेटिक्स।

---

6. एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:

(i) उपरोक्त खेलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक (**1**) एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाएंगे। वहीं किसी एक खेल शाखा में अधिकतम छह (**6**) केंद्र राज्य भर में स्थापित किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना में लिंग अनुपात का ध्यान रखा जाएगा।

(ii) राज्य में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रों की अधिकतम संख्या बिहार के जिलों की संख्या के दोगुनी से अधिक नहीं होगी।

---

7. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण –

(i) प्रत्येक आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र में **अधिकतम 30 (तीस)** प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा।

(ii) विशेष परिस्थितियों में हॉकी, फुटबॉल एवं अन्य टीम खेलों के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए, खेल की प्रकृति और टीम संरचना को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिकतम **32 (बत्तीस)** तक हो सकती है।

---

8. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु वांछित योग्यता/विमुक्ति –

(i) इन प्रशिक्षण केंद्रों में चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं:

a. आयु सीमा – न्यूनतम: 12 वर्ष, अधिकतम: 14 वर्ष; शूटिंग एवं भारोत्तोलन हेतु खेल के प्रकृति अनुरूप न्यूनतम 13 वर्ष, अधिकतम 17 वर्ष।

b. बैटरी एवं स्पोर्ट्स-स्किल सम्बंधित खेल विधा टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर।

c. आयु-सत्यापन परीक्षण (Age Verification Test)।

(ii) इसके अतिरिक्त, इन प्रशिक्षण केंद्रों में चयन दो अन्य माध्यमों से भी किया जाएगा – 'मशाल कार्यक्रम' तथा 'पार्श्व प्रवेश' (Lateral Entry) के माध्यम से।

(iii) चयन के किसी भी माध्यम में, खंड 8(i)(b) और 8(i)(c) के अंतर्गत योग्यता अनिवार्य होगी।

(iv) बैटरी टेस्ट एवं स्पोर्ट्स-स्किल सम्बंधित खेल विधा टेस्ट्स का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, तथा इसे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण/खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) विमुक्ति (Weed-out) की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदर्शन में निरंतर गिरावट, अनुशासनहीनता, डोपिंग के मामलों या अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर खिलाड़ियों को केंद्र से बाहर किया जा सकेगा।

---

9. चिकित्सा प्रमाण पत्र –

एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र हेतु चयनित खिलाड़ियों को केंद्र में नामांकन पूर्व से असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसे संबंधित जिला खेल पदाधिकारी/अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

---

10. प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुविधाएँ –

(i) आवासन सुविधा -

a. सभी प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी :

i. प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति वर्ष 2 चादरें, 2 तकिए 2 तकिए के ख़ोल, 2 तौलिया।

ii. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक लॉकर, एक स्टडी टेबल तथा एक कुर्सी।

iii. प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक मग एवं एक बाल्टी।

उपरोक्त सुविधाएँ सीमित नहीं होंगी; अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्णय राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति द्वारा लिया जाएगा।

(ii) भोजन की सुविधा -

a. सभी प्रशिक्षणार्थियों को (दो नाश्ता, दो भोजन प्रतिदिन) उपलब्ध कराया जाएगा।

b. शक्ति खेलों (या आवश्यकतानुसार) को ध्यान में रखते हुए विशेषीकृत खेल पोषण की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी।

c. नियमित भोजन के अतिरिक्त, खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं रिकवरी को ध्यान में रखते हुए पूर्व एवं पश्चात् वर्कआउट पोषण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

d. आहार की व्यवस्था भारतीय खेल प्राधिकरण (U-17) प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप की जाएगी, जो प्रति वर्ष 300 प्रशिक्षण दिवसों के लिए लागू होगी एवं भोजन का मेनू और उसकी राशि का निर्धारण कंडिका(15)(i)(c) के अनुसार किया जायेगा।

(iii) प्रशिक्षण/प्रतियोगिता की सुविधा -

a. आधुनिक खेल उपकरण और मैदान/एरिया की सुविधा।

b. प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतियोगिता एक्सपोज़र हेतु प्रति वर्ष अधिकतम ₹20,000 (बीस हजार रुपये) मात्र तक की वित्तीय सहायता की सुविधा।

c. किसी प्रतिष्ठित अकादमी या उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण शिविर की सुविधा।

d. एनएडीए (NADA) द्वारा डोपिंग विरोधी जागरूकता एवं उत्तम खेल अभ्यासों पर नियमित सत्रों का आयोजन।

e. वार्षिक अंतर-एकलव्य प्रतियोगिता का आयोजन।

f. वर्ष में दो बार खेल किट (सामान्य और खेल विशिष्ट) की सुविधा।

(iv) अध्ययन की सुविधा -

a. सरकारी विद्यालयों में नामांकन सम्बंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के माध्यम से।

b. कंप्यूटर, आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों एवं एडु-टेक (Edu-Tech) प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

c. अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता रखने वाले छात्रों के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।

(v) चिकित्सा सुविधा -

a. सरकारी अस्पताल द्वारा।

b. प्रत्येक सप्ताह निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक का दौरा।

c. प्रत्येक चयनित प्रशिक्षणार्थी का नामांकन होते जीवन और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।

(vi) छात्रवृत्ति राशि -

a. प्रत्येक खिलाड़ी को जेब खर्च हेतु ₹1,500 (एक हजार पांच सौ रुपये) मात्र प्रति माह की सुविधा।

(vii) आपात कोष -

a. आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति से की जाएगी।

---

11. प्रशिक्षक के लिए पात्रता एवं मानदेय:

एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षकों के लिए संशोधित निम्नलिखित पात्रता एवं मानदेय निर्धारित की गयी है:

(i) सामान्य प्रशिक्षकों के अतिरिक्त, एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में परियोजना आधारित विशिष्ट प्रशिक्षकों की आवश्यकता महसूस की गई है, जो प्रत्येक स्तर के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

(ii) परियोजना अवधि के लिए चयनित खेल विधाओं में वैसे प्रशिक्षकों की मानदेय के आधार पर सेवायें प्राप्त किये जायेंगे, जो पूर्व से प्रशिक्षण कार्य कर रहे हों, जिसके द्वारा खेलों में खिलाड़ी एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उपलब्धि /अनुभव प्राप्त हो। यदि दो प्रशिक्षकों की योग्यता एक समान हो, तो पूर्व से प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक को उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी के द्वारा प्राप्त ऊँची उपलब्धि के आधार पर सम्बन्धी प्रशिक्षक को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) पात्रता मापदंड:

क्रम संख्या	पात्रता	मानदेय (प्रतिमाह)
1	खेल कोचिंग में डिप्लोमा (Diploma in Sports Coaching) प्राप्त प्रशिक्षक, जिन्होंने प्रशिक्षक के रूप में किसी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो ***या*** जिन्होंने खेल कोचिंग में डिप्लोमा (Diploma in Sports Coaching) के साथ किसी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया हो	₹50,000
2	खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक, जिन्होंने आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में खिलाड़ी के रूप में भाग लिया हो	₹40,000
3	गैर-खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्रशिक्षक जिन्होंने आधिकारिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो तथा जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में स्थानीय स्तर पर ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो	₹35,000
4	आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने स्थानीय स्तर पर पिछले पाँच वर्षों में ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भाग लिया हो।	₹30,000

	इस श्रेणी में राष्ट्रीय/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागी के साथ संबंधित खेल में छह सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।	

(iv) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र में आवासन और भोजन की सुविधा दी जाएगी। बालिका प्रशिक्षण केंद्र में पुरुष प्रशिक्षक का आवासन किसी भी स्थिति में नहीं होगा।

(v) प्रशिक्षक की सेवाएं योग्यता की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए ली जाएंगी और खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार उनकी सेवा अवधि का प्रत्येक वर्ष विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए उनके द्वारा सरकारी नौकरी का दावा मान्य नहीं होगा। अनुबंध सेवा या योजना के समाप्त होने की स्थिति में बिना किसी कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) प्रशिक्षकों के उच्च स्तर के कार्य के आधार पर अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन (विभाग द्वारा निर्धारित) तथा अगले वर्ष के लिए देय मानदेय में 20% की वृद्धि (अंतरराष्ट्रीय पदक हेतु अतिरिक्त धनराशि) की जाएगी। राष्ट्रीय पदक पर देय मानदेय में 10% की वृद्धि होगी (यह सुविधा पदक प्राप्ति के माह से 11 माह के लिए सेवा विस्तार तक प्रभावी रहेगी)। इस संबंध में अंतिम निर्णय कंडिका (15)(i) में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

12. प्रशिक्षक/उच्च प्रदर्शन निदेशक/उच्च प्रदर्शन प्रबंधक

(i) प्रशिक्षकों का चयन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा:

a. कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण – अध्यक्ष
b. खेल विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य
c. प्रतिष्ठित कोच या अर्जुन/द्रोणाचार्य/खेल रत्न पुरस्कार विजेता – सदस्य
d. संबंधित जिला खेल पदाधिकारी – सदस्य

(ii) प्रशिक्षक पदों की रिक्तियों की जानकारी राज्य एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रकाशित की जाएगी, तथा संबंधित विवरण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) आवश्यकतानुसार, एकलव्य केंद्रों में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

(iv) स्थानांतरण से संबंधित सभी निर्णय बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा लिए जाएंगे।

(v) बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था एवं खेल विज्ञान सहयोग के लिए खेल विधा (एवं खेल विज्ञान) विशिष्ट उच्च प्रदर्शन निदेशक तथा उच्च प्रदर्शन प्रबंधक की नियुक्ति की जायेगी।

13. छात्रावास अधीक्षक

छात्रावास अधीक्षक का कार्यभार एकलव्य प्रशिक्षक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। छात्रावास अधीक्षक को ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय देय होगा। छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता मानदंड – स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक को ई-एकलव्य डिजिटल पोर्टल के संचालन, रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण तथा अन्य संबंधित दायित्वों की जिम्मेदारी होगी।

14. ई-एकलव्य डिजिटल पोर्टल – एक पारदर्शी, दक्ष और तकनीक आधारित निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ई-एकलव्य डिजिटल पोर्टल का निर्माण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित के अपलोडिंग एवं डेटा रिकॉर्डिंग के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी:

(i) चयन ट्रायल के लिए पंजीकरण और उनके परिणाम,
(ii) खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अन्य हितधारकों का पंजीकरण, और उनसे सम्बंधित सारे विवरण,
(iii) प्रशिक्षण कार्यक्रम और उनका अनुपालन,
(iv) उपलब्धियों का रिकॉर्ड और प्रदर्शन मूल्यांकन,
(v) निरीक्षण एवं अन्य रिपोर्टें,
(vi) उपस्थिति निगरानी, भोजनालय प्रबंधन, आवासन प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन।

---

15. संचालन समितियां :

(i) राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति

एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

a. महानिदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण – उपाध्यक्ष
b. निदेशक, खेल विभाग – सदस्य
c. कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण – सदस्य सचिव

आवश्यकता पड़ने पर समिति अतिरिक्त सदस्यों/विशेषज्ञों को नामित कर सकती है। समिति में निम्नलिखित शक्तियां निहित होंगी:

a. खिलाड़ियों के चयन/विमुक्त का अनुमोदन और उसकी प्रक्रिया।
b. 'मशाल कार्यक्रम' एवं 'पार्श्व प्रवेश' के माध्यम से चयन प्रक्रिया का निर्धारण।
c. खिलाड़ियों के लिए भोजन के मेनू का निर्धारण।
d. खेल उपकरणों की स्वीकृति, उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा का निर्धारण।
e. सामान एवं सेवाओं की खरीद की विधि एवं प्रक्रिया का निर्धारण।
f. हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर एवं हाई परफॉर्मेंस मैनेजर की नियुक्ति एवं उनके कार्य का मूल्यांकन।
g. नए खेल विषयों के चयन एवं नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति।..
h. छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता में प्रतिभागिता तथा अन्य वित्तीय सहायता से संबंधित मामलों की समीक्षा।
i. आपात कोष से आवश्यकतानुसार व्यय करने की स्वीकृति।
j. परिक्रामी कोष (Revolving Fund) से व्यय के नियमों का निर्धारण।

समिति को उपरोक्त सभी विषयों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(ii) जिला स्तरीय समिति

जिला स्तर पर समन्वय के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ **जिला स्तरीय समिति** का गठन किया जाएगा:

a. वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक – सदस्य
b. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा नामांकित एक चिकित्सक – सदस्य
c. जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
d. संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी – सदस्य
e. छात्रावास अधीक्षक – सदस्य
f. एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक – सदस्य
g. जिले के उत्कृष्ट महिला एवं पुरुष खिलाड़ी (अधिकतम 2)– सदस्य
h. जिला खेल पदाधिकारी – सदस्य
i. कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल – सदस्य

(iii) प्रभारी अधिकारी

प्रत्येक एकलव्य केंद्र के लिए एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो समग्र समन्वय, बेहतर प्रबंधन और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

---

16. आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश:

(i) राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक (01) एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के एसजीएफआई (SGFI) द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिकता एवं खेलो इंडिया के लिए चयनित खेल विधाओं से संबंधित होंगे। इन केंद्रों की स्थापना उसी जिले में की जाएगी :

a. जहाँ वह खेल विधा पहले से वातावरण/प्रचलन हो,
b. स्थानीय स्तर पर उभरती हुई प्रतिभाओं की उपलब्धता हो,
c. बुनियादी खेल मैदान की मौजूदगी, शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा,
d. युवा खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित और सुगम वातावरण हो।

(ii) विद्यालय कोटि के लिए, विद्यालय के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक तथा स्टेडियम/खेल भवन कोटि के लिए जिला खेल पदाधिकारी केंद्र के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। खिलाड़ियों के आवासन, खेल मैदान, खेल उपकरण, पौष्टिक आहार, चिकित्सा, पठन-पाठन एवं अनुशासन आदि पर उनका नियंत्रण रहेगा।

(iii) उपयुक्त आवासन न उपलब्ध होने की स्थिति में खिलाड़ियों के आवासन हेतु किराए पर निजी भवन का उपयोग किया जाएगा। किराया सम्बंधित जिला के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तय किया जायेगा।

(iv) भविष्य में, समयानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार खेल भवन में ही आवासन एवं भोजनालय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

(v) प्रत्येक केंद्र को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का परिक्रामी कोष (Revolving Fund) उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली के अनुसार एवं खेल विभाग/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के दिशा-निर्देश से किया जाएगा।

(vii) प्रत्येक माह की दस तारीख तक पिछले माह का व्यय विवरण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) प्रशिक्षण कार्य का पूर्ण दायित्व प्रशिक्षकों का होगा। सामान्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह और शाम दो-दो घंटों का होगा जो उच्च प्रदर्शन निदेशक/उच्च प्रदर्शन प्रबंधक/विद्यालय प्रमुख/जिला खेल पदाधिकारी की सहमति से विद्यालय की समय सारणी को ध्यान में रखते हुए खेल प्रशिक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण की समयावधि और समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ix)स्थानीय टीम के साथ प्रैक्टिस मैच का आयोजन अनिवार्य होगा। स्थानीय टीम उपलब्ध न होने की स्थिति में खिलाड़ी आपस में ही दो टीम बनाकर मैच खेलेंगे। विशेष परिस्थिति में नजदीक के जिले में स्थित एकलव्य केंद्र की टीम के साथ मैच सप्ताह में एक बार खेला जा सकता है।

(x) प्रशिक्षण के अतिरिक्त खिलाड़ियों की पढ़ाई तथा उनकी अन्य आवश्यक अनुकूल परिस्थिति तैयार करने और खिलाड़ियों के हित के लिए कार्य करेंगे।

(xi)खिलाड़ियों की शारीरिक और स्वास्थ्य जाँच की जाएगी।

(xii)प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में खिलाड़ियों के स्तर/उपलब्धियों की जाँच की जाएगी। असंतोषप्रद स्थिति में संबंधित खिलाड़ी को केंद्र से निष्कासित कर दिया जाएगा।

(xiii) छात्रावास अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गए दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर जिला खेल पदाधिकारी केंद्र हेतु प्राप्त धनराशि की प्रविष्टि पंजी में करेंगे तथा सम्पूर्ण प्रभार के व्यय का नियमानुकूल अभिलेख संधारण करेंगे।

(xiv) एक वार्षिक खेल कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें अवकाश की सूची सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का विस्तृत विवरण शामिल रहेगा।

(xv) प्रशिक्षक, खिलाड़ी, छात्रावास अधीक्षक को प्रतिदिन बायोमेट्रिक (Biometric) माध्यम से उपस्तिथि दर्ज करानी अनिवार्य होगी।

(xvi) खिलाड़ी का विद्यालय में नामांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। उच्च कक्षा में अध्ययनरत छात्र खिलाड़ियों का नामांकन स्थानीय विद्यालय में किया जाएगा। वे खिलाड़ी जो स्थानीय निजी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेंगे उन्हें शिक्षा पर आने वाला अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा। संचालन से संबंधित कार्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(xvii) एक निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि एकलव्य केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण की आवृत्ति निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

क्रम	अवधि	जिम्मेदार पदाधिकारी
1	प्रत्येक 15 दिन में एक बार	जिला खेल पदाधिकारी
2	प्रत्येक दो माह में एक बार	प्रभारी पदाधिकारी (कंडिका (15)(iii) के अनुसार)
3	प्रत्येक तीन माह में एक बार	निदेशालय/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से वरीय पदाधिकारी

सभी निरीक्षण रिपोर्ट ई-एकलव्य पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।

(xviii) एकलव्य केंद्रों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

(xix) राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक खेल कार्यक्रमों में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र की टीमों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा

(xx) वार्षिक मूल्यांकन में उन केंद्रों की जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तथा संचालन में विद्यालय का सहयोग नहीं मिलेगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। खिलाड़ियों का प्रदर्शन यदि संतोषजनक न होने पर, प्रशिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और नए ट्रेनर से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

(xxi) प्रशिक्षक द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग कराने अथवा प्रचार करने पर प्रशिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही किसी भी खिलाड़ी द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का प्रमाण मिलने पर उसे तुरंत एकलव्य केंद्र से निष्कासित कर दिया जाएगा।

(xxii) प्रशिक्षक/ट्रेनर की सेवा संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें बिना कारण बताए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(xxiii) खिलाड़ियों की सहायता, शिकायतों एवं सुझावों हेतु हेल्प लाइन नंबर की स्थापना शीघ्र की जाएगी।

(i) इस संबंध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1863, दिनांक-28.12.2028 द्वारा निर्गत योजना मार्गदर्शिका, 2018 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

12/08/25

(निरंजन कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/ए0 1-04/2025-3495 / दिनांक-12.8/2025

प्रतिलिपिः- प्रभारी, अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित किया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए।

(अनु0-हार्ड एवं साफ्ट कॉपी)

12/08/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/ए0 1-04/2025-3495 / दिनांक-12.8/2025

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/सभी जिला पदाधिकारी/ कुल सचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा/सभी अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा/सभी जिला खेल पदाधिकारी/सभी उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा/संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।

12/08/25

संयुक्त सचिव।